प्रेस - नोट

जनप- अम्बेडकरनगर

दिनांक- 13.11.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना मालीपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 नफर शातिर गौतस्कर 10,000/- रुपये का इनामिया शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद व उसका एक अन्य साथी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी जलालपुर के नेतृत्व में थाना मालीपुर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 नफर शातिर गौतस्कर 10,000/- रुपये का इनामिया शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद व उसका एक अन्य साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना मालीपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-97/16 धारा-307/419/420/467/468/336/147/148/149/427 भा.दं.वि. व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 10,000/- रुपये का मफरूर/इनामिया अभियुक्त शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद निवासी ग्राम मझगवा थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर, उम्र लगभग 30 वर्ष की निरन्तर तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 12/13.11.2025 की रात्रि में थाना मालीपुर पुलिस टीम व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम झारखंडी बाबा तिराहे के पास पहुँची, जहाँ अभियुक्तगण पुलिस को देखकर भागने लगे तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई व जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद के दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से अभियुक्त का एक साथी हर्षित चौबे पुत्र शिवप्रताप चौबे निवासी कैमासपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर, उम्र लगभग 20 वर्ष को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी नगपुर, जलालपुर भेजा गया। घायल अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है। घायल अभियुक्त की स्थिती सामान्य है। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त –

01.शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद निवासी ग्राम मझगवा थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

02.हर्षित चौबे पुत्र शिवप्रताप चौबे निवासी कैमासपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

विवरण बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर

01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

01 अदद खोका कारतूस 315 बोर

01 अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-255/25 धारा-109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण आपराधिक इतिहास-

01 शमशेर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ सन्नू उर्फ शान मोहम्मद

01.मु0अ0सं0- 97/16 धारा-307/419/420/467/468/336/147/148/149/427 भादवि0 व 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधि0 थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर

02. मु0अ0सं0- 170/2017 धारा-174 ए भादवि0 थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर

03. मु0अ0सं0- 69/2018 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व11(1)(घ) पशु क्रु0 अधि0, 1960 थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

01.स्वतंत्र कुमार मौर्य (थानाध्यक्ष मालीपुर)

02.विनोद यादव (एसओजी प्रभारी) मय टीम

03.प्रभाकान्त तिवारी(सर्विलांस प्रभारी) मय टीम

04.उ0नि0 अनिल कुमार शर्मा

05.उ0नि0 सुशील कुमार त्रिपाठी

06.हे0का0 करुणा शंकर मिश्रा

07.का0 पंकज कुमार

08.का0 संगम यादव

09.का0 सोनू यादव

10.का0 विशाल त्रिपाठी